



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

30 भाद्र 1939 (श0)

(सं0 पटना 876) पटना, बृहस्पतिवार, 21 सितम्बर 2017

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

21 सितम्बर 2017

एस०ओ० 171, दिनांक 21 सितम्बर 2017—बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का बिहार अधिनियम 12) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार के राज्यपाल, बिहार माल और सेवा कर नियमावली, 2017 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

- (1) यह नियमावली बिहार माल और सेवा कर (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2017 कही जा सकेगी।
 - (2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।
 - (3) यथा अन्यथा उपबंधित के सिवाय, ये दिनांक 17 अगस्त 2017 के प्रभाव से प्रवृत्त होंगे।
- बिहार माल और सेवा कर नियमावली, 2017 में,—
 - (i) नियम 3 के उप-नियम (4) में, “साठ दिन” शब्दों के लिए शब्द “नब्बे दिन” प्रतिस्थापित किये जाएंगे ;
 - (ii) नियम 17 में, 28 जून, 2017 से, उप-नियम (2) में, “उक्त प्ररूप” शब्दों के पश्चात् “या भारत सरकार के विदेश मंत्रालय से सिफारिश प्राप्त होने के पश्चात्” शब्द अन्तः स्थापित किए जाएंगे ;
 - (iii) नियम 40 में, 1 जुलाई, 2017 से उप-नियम (1) में, खंड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

“(ख) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति धारा 18 उप-धारा (1) के अधीन इनपुट कर प्रत्यय का लाभ लेने के लिए पात्र होने की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर, जो इस निमित्त अधिसूचना द्वारा आयुक्त द्वारा बढ़ाई जा सकेगी, इस आशय की प्ररूप जीएसटी आईटीसी-01 में सामान्य पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से घोषणा करेगा कि वह पूर्वोक्त इनपुट कर प्रत्यय का लाभ लेने के लिए पात्र है :

परंतु यह कि केन्द्रीय कर के आयुक्त द्वारा अधिसूचित समय-सीमा का कोई विस्तार, आयुक्त द्वारा अधिसूचित किया गया समझा जाएगा।”;

(iv) नियम 61 के उप-नियम (5) के स्थान पर, 1 जुलाई, 2017 से निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

“(5) जहाँ धारा 37 के अधीन प्ररूप जीएसटीआर-1 और धारा 38 के अधीन प्ररूप जीएसटीआर-2 में ब्योरा को प्रस्तुत करने की समय-सीमा का विस्तार किया गया है और परिस्थितियाँ इस प्रकार हैं तो आयुक्त अधिसूचना के माध्यम से, ऐसी रीति और शर्तों को विनिर्दिष्ट कर सकता है जिनके अधीन प्ररूप जीएसटीआर-3ख में विवरणी को सामान्य पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक रूप में या सीधे या आयुक्त द्वारा अधिसूचित किसी सुविधा केन्द्र के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा।”

(v) नियम 87 में,-

(क) उप-नियम (2) में, निम्नलिखित अन्तः स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“परंतु सामान्य पोर्टल सृजित किया गया प्ररूप जीएसटी, पीएमटी-06 में चालान पंद्रह दिन की अवधि के लिए विधिमान्य होगा :

परंतु यह और कि एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 14 में निर्दिष्ट अकराधेय ऑनलाइन प्राप्तिकर्ता को भारत के बाहर स्थान से ऑनलाइन सूचना और डाटाबेस पहुंच या पुनः प्राप्य सेवा का प्रदाय करने वाला व्यक्ति बोर्ड की संदाय प्रणाली अर्थात् बोर्ड द्वारा अधिसूचित की जाने वाली तारीख से उत्पाद शुल्क और सेवा कर में इलेक्ट्रॉनिक लेखांकन प्रणाली के माध्यम से भी ऐसा कर सकेगा।”;

(ख) उप-नियम 3 में, दूसरे परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात् :-

“परंतु यह और कि एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 14 में निर्दिष्ट अकराधेय ऑनलाइन प्राप्तिकर्ता को भारत के बाहर स्थान से ऑनलाइन सूचना और डाटाबेस पहुंच या पुनः प्राप्य सेवा का प्रदाय करने वाला व्यक्ति बोर्ड द्वारा अधिसूचित की जाने वाली तारीख से विष्वव्यापी इंटर बैंक वित्तीय दूरसंचार संदाय नेटवर्क सोसाइटी के माध्यम से अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा अंतरण के माध्यम से उप-नियम (2) के अधीन भी निक्षेप कर सकेगा।”;

(vi) नियम 103 के स्थान पर, 1 जुलाई, 2017 से निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

“103. सरकार अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण के सदस्य के रूप में संयुक्त आयुक्त से अन्यून पंक्ति के अधिकारियों की नियुक्ति करेगी।”;

(vii) ‘रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत करने सम्बन्धी अनुदेश’ शीर्ष के अधीन “प्ररूप जीएसटी आरईजी-01 में, क्रम संख्या 15 के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“16. प्रदायकर्ताओं के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करने वाले सरकारी विभाग बैंक खाते के ब्यौरे प्रस्तुत नहीं कर सकेंगे।”;

(viii) 22 जून, 2017 से “प्ररूप जीएसटी आरईजी-13” के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात्:-

प्ररूप जीएसटी आरईजी - 13

[नियम 17 देखिए]

संयुक्त राष्ट्र निकायों/दूतावासों/अन्य को विशिष्ट पहचान संख्या अनुदत्त करने के लिए आवेदन/प्ररूप

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र -

जिला -

भाग क

(i)	इकाई का नाम	
(ii)	इकाई का स्थायी लेखा संख्या [अधिनियम की धारा 25 की उप-धारा (9) के खंड (क) में विनिर्दिष्ट इकाइयों को लागू नहीं होता है]	
(iii)	प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम	
(iv)	प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का स्थायी लेखा संख्या [अधिनियम की धारा 25 की उप-धारा (9) के खंड (क) में विनिर्दिष्ट इकाइयों को लागू नहीं होता है]	
(v)	प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का ई-मेल पता	
(vi)	प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का मोबाइल नंबर (+91)	

भाग ख

1.	इकाई का किस्म (कोई एक चुनें)	संयुक्त राष्ट्र	दूतावास	अन्य व्यक्ति
2.	देश			
2.क	विदेश मंत्रालय, भारत सरकार की सिफारिश (यदि लागू हो)	पत्र संख्या		तारीख
3.	अधिसूचना के ब्यौरे	अधिसूचना संख्या		तारीख
4.	राज्य में इकाई का पता			
	भवन संख्या/प्लैट नंबर	मंजिल संख्या		
	परिसर/भवन का नाम	सड़क/गली		
	शहर/कस्बा/गाँव	जिला		
	ब्लॉक/तालुका			
	अक्षांश	देशान्तर		
	राज्य	पिन कोड		
	संपर्क के लिए जानकारी			
	ईमेल पता	टेलीफोन नंबर		
	फैक्स नंबर	मोबाइल नंबर		
5.	प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के ब्यौरे, यदि लागू हों			
	विशिष्टियां	प्रथम नाम	मध्य नाम	अंतिम नाम
	नाम			
	फोटो			
	पिता का नाम			
	जन्म की तारीख	दिन/मास/वर्ष	लिंग	<पुरुष, महिला, अन्य>

मोबाइल नंबर		ई-मेल पता	
टेलीफोन नंबर			
पदनाम/प्रास्थिति		निदेशक पहचान संख्या (यदि कोई हो)	

स्थायी लेखा संख्या [अधिनियम की धारा 25 की उप- धारा (9) के खंड (क) में विनिर्दिष्ट इकाईयों को लागू नहीं होता है]		आधार संख्या [अधिनियम की धारा 25 की उप- धारा (9) के खंड (क) में विनिर्दिष्ट इकाईयों को लागू नहीं होता है]	
क्या आप भारत के नागरिक हैं?	हां/नहीं	पासपोर्ट संख्या (विदेशियों के मामले में)	
घर का पता			
भवन संख्या/फ्लैट नंबर		मंजिल संख्या	
परिसर/भवन का नाम		सड़क/गली	
नगर/शहर/गांव		जिला	
ब्लॉक/तालुका			
राज्य		पिन कोड	
6.	बैंक खाता ब्यौरे (यदि आवश्यक हो तो और जोड़ें)		
खाता संख्या		खाते का प्रकार	
आईएफएससी		बैंक का नाम	
शाखा का पता			
7.	अपलोड किए गए दस्तावेज प्राधिकृत व्यक्ति, जिसके कब्जे में दस्तावेजी साक्ष्य हैं, ऐसे दस्तावेजों की स्कैन की गई प्रति, जिसके अंतर्गत इकाई का प्रतिनिधित्व करने के लिए आवेदक को प्राधिकृत करने के लिए संकल्प/मुख्तारनामा भी है, को अपलोड किया जाएगा। या समुचित अधिकारी, जिसने आवेदक से दस्तावेजी साक्ष्य एकत्र किए हैं, ऐसे दस्तावेजों की स्कैन की गई प्रति, जिसके अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र निकाय/दूतावास आदि का भारत में प्रतिनिधित्व करने के लिए आवेदक को प्राधिकृत करने के लिए संकल्प/मुख्तारनामा भी है, अपलोड किया जाएगा और इसे संबंधित संयुक्त राष्ट्र निकाय/दूतावास आदि को सृजित और आवंटित विषिष्ट पहचान संख्या के साथ लिंक किया जाएगा।		
8.	सत्यापन मैं सत्यनिष्ठा से यह अभिपुष्टि करता हूँ और घोषणा करता हूँ कि इसमें ऊपर दी गई सूचना मेरे सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है तथा इसमें कुछ भी छुपाया नहीं गया है।		

स्थान:

(हस्ताक्षर)

तारीख :

प्राधिकृत व्यक्ति का नाम:

या

स्थान:

(हस्ताक्षर)

तारीख:

समुचित अधिकारी का नाम:

अधिकारिता:

सरकार द्वारा अधिसूचित संयुक्त राष्ट्र निकायों/दूतावासों/अन्य के आरईजी के लिए आवेदन प्रस्तुत करने के लिए अनुदेश।

- प्रत्येक व्यक्ति, जिससे विशिष्ट पहचान संख्या अभिप्राप्त करने की अपेक्षा है, इलेक्ट्रॉनिकी रूप से आवेदन प्रस्तुत करेगा।
 - आवेदन सामान्य पोर्टल के माध्यम से फाइल किया जाएगा या समुचित अधिकारी द्वारा स्व:प्रेरणा से आरईजी अनुदत्त किया जा सकता है।
 - सामान्य पोर्टल पर फाइल किए गए आवेदन पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से या सरकार द्वारा यथाविनिर्दिष्ट किसी अन्य माध्यम से हस्ताक्षर करना अपेक्षित है।
 - संबंधित इकाई द्वारा प्रतिदाय आवेदन या अन्यथा पर हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति के ब्यौरों को आवेदन में "प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के ब्यौरे" के सामने भरा जाना चाहिए।
 - स्थायी लेखा संख्यांक/आधार अधिनियम की धारा 25 की उप-धारा (9) के खंड (क) में विनिर्दिष्ट इकाईयों के लिए लागू नहीं होगा।
- (ix) 1 जुलाई, 2017 से; प्ररूप जीएसटी टीआरएन-1 के क्र. सं. 7 में, —
- (i) मद (क) में, "और 140(6)" शब्दों, अंकों और कोष्ठकों के स्थान पर, "140(6) और 140(7)" अंक, कोष्ठक और शब्द रखे जाएंगे।
 - (ii) मद (ख) में, —
 - (क) "धारा 140(5)" शब्दों, अंकों और कोष्ठकों के पश्चात्, "और धारा 140(7)" शब्द, अंक और कोष्ठक अन्तःस्थापित किए जाएंगे;
 - (ख) स्तम्भ शीर्ष 1 के स्थान पर, "प्रदायकर्ता या इनपुट सेवा वितरक का रजिस्ट्रीकरण संख्यांक" स्तम्भ शीर्ष रखे जाएंगे;
 - (ग) स्तम्भ 8 के शीर्ष में, "पात्र शुल्कों और करों" शब्दों के पश्चात् "(केन्द्रीय कर)" कोष्ठक और शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे।

[(सं०सं०-बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-20/2017-3531)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

सुजाता चतुर्वेदी,

वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव।

21 सितम्बर 2017

एस०ओ० 172, एस०ओ० 171 दिनांक 21 सितम्बर 2017 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

[(सं०सं०-बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-20/2017-3531)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

सुजाता चतुर्वेदी,

वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव।

The 21st September 2017

S.O. 171, dated 21st September 2017— In exercise of the powers conferred by section 164 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (Bihar Act 12 of 2017), the Governor of Bihar, on the recommendations of the G.S.T. Council, hereby makes the following rules further to amend the Bihar Goods and Services Tax Rules, 2017, namely:-

1. (1) These rules may be called the Bihar Goods and services Tax (Fourth Amendment) Rules, 2017.
- (2) It shall extend to whole State of Bihar
- (3) Save as otherwise provided, they shall come into force with effect from 17th August, 2017.

2. In the Bihar Goods and services Tax Rules, 2017,

- (i) In sub-rule (4) of rule 3, for the words "sixty days", the words "ninety days" shall be substituted;
- (ii) in rule 17, with effect from the 22nd June, 2017, in sub-rule(2), after the words, "said form", the words "or after receiving a recommendation from the ministry of External Affairs, Government of India" shall be inserted;
- (iii) in rule 40, with effect from the 1st day of July, 2017, in sub-rule (1), for clause (b), the following shall be substituted, namely:-
 "(b) the registered person shall within a period of thirty days from the date of becoming eligible to avail the input tax credit under sub-section (i) of section 18, or within such further period as may be extended by the commissioner by a notification in this behalf, shall make a declaration, electronically, on the common portal in Form GST ITC-01 to the effect that he is eligible to avail the input tax credit as aforesaid:

Provided that any extension of the time limit notified by the Commissioner of Central tax shall be deemed to be notified by the commissioner,"

- (iv) for sub-rule (5) of rule 61, with effect from the 1st day of July, 2017 the following sub-rule shall be substituted, namely:-
 "(5) Where the time limit for furnishing of details in FORM GSTR-1 under section 37 and in FORM GSTR-2 under section 38 has been extended and the circumstances so warrant, the Commissioner may, by notification, specify the manner and conditions subject to which the return shall be furnished in FORM GSTR-3B electronically through the common portal, either directly or through a Facilitation Centre notified by the Commissioner."

- (v) in rule 87,-

- (a) in sub-rule (2), the following shall be inserted, namely:-

'Provided that the challan in FORM GST PMT-06 generated at the common portal shall be valid for a period of fifteen days.

Provided further that a person supplying online information and database access or retrieval services from a place outside India to a non-taxable online recipient referred to in section 14 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017) may also do so through the Board's payment system namely, Electronic Accounting System in Excise and Service Tax from the date to be notified by the Board.";

- (b) in sub-rule (3), for the second proviso, the following proviso shall be substituted, namely:-

"Provided further that a person supplying online information and database access or retrieval services from a place outside India to a non-taxable online recipient referred to in section 14 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017) may also make the deposit under sub-rule (2) through international money transfer through Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication payment network, from the date to be notified by the Board.";

- (vi) for rule 103, with effect from the 1st day of July, 2017 the following rule shall be substituted, namely:-

"103. The Government shall appoint officers not below the rank of Joint Commissioner as member of the Authority for Advance Ruling.";

(vii) in "FORM GST REG-01" under the heading 'Instructions for submission of Application for Registration', after Serial No. 15, the following Serial no. shall be inserted, namely:-

"16. Government departments applying for registration as suppliers may not furnish Bank Account details.";

(viii) With effect from the 28th June 2017, for "FORM GST REG-13", the following FORM shall be substituted, namely :-

“FORM GST REG-13

[See Rule 17]

Application/Form for grant of Unique identity Number (UIN) to UN Bodies/Embassies/others
State/UT- District-

PART A

(i)	Name of the Entity	
(ii)	Permanent Account Number (PAN) of entity (Not applicable for entities specified in clause (a) of sub-section (9) of section 25 of the Act)	
(iii)	Name of the Authorised Signatory	
(iv)	PAN of Authorised Signatory (Not applicable for entities specified in clause (a) of sub-section (9) of section 25 of the Act)	
(v)	Email Address of the Authorised Signatory	
(vi)	Mobile Number of the Authorised Signatory (+91)	

PART B

1.	Type of Entity (Choose one)	UN Body ☐	Embassy ☐	Other Person ☐
2.	Country			
2A.	Ministry of External Affairs, Government of India Recommendation (if applicable)	Letter No.	Date	
3.	Notification details	Notification No.	Date	
4.	Address of the entity in State			
	Building No./Flat No.	Floor No.		
	Name of the Premises/Building	Road/Street		
	City/Town/Village	District		
	Block/Taluka			
	Latitude	Longitude		

	State	PIN Code
--	-------	----------

	Contact Information			
	Email Address		Telephone number	
	Fax Number		Mobile Number	
5.	Details of Authorized Signatory, If applicable			
	Particulars	First Name	Middle Name	Last Name
	Name			
	Photo			
	Name of Father			
	Date of Birth	DD/MM/YYYY	Gender	<Male, Female, Other>
	Mobile Number		Email address	
	Telephone No.			
	Designation/ Status		Director Identification Number (if any)	
	PAN (Not applicable for entities specified in clause (a) of sub-section (9) of section 25 of the Act)		Aadhaar Number (Not applicable for entities specified in clause (a) of sub-section (9) of section 25 of the Act)	
	Are you a citizen of India ?	Yes/No	Passport No. (in case of foreigners)	
	Residential Address			
	Building No/Flat No		Floor No	
	Name of the Premises/Building		Road/Street	
	Town/City/Village		District	
	Block/Taluka			
	State		PIN Code	
6.	Bank Account Details (add more if required)			
	Account Number		Type of Account	
	IFSC		Bank Name	
	Branch Address			

7.	Documents Uploaded <i>The authorized person who is in possession of the documentary evidence shall upload the scanned copy of such documents including the copy of resolution /power of attorney, authorizing the applicant to represent the entity.</i> Or <i>The proper officer who has collected the documentary evidence from the applicant shall upload the scanned copy of such documents including the copy of resolution/power of attorney, authorizing the applicant to represent the UN Body/Embassy etc. in India and link it along with UIN generated and allotted to respective UN Body/Embassy etc.</i>
8.	Verification <i>I hereby solemnly affirm and declare that the information given herein above is true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed therefrom.</i>

Place _____ (Signature)
 Date: _____ Name of Authorized Person:

Or

Place: _____ (Signature)
 Date: _____ Name of Proper Officer:
 Designation:
 Jurisdiction:

Instructions for submission of application for registration for UN Bodies/Embassies/others notified by the Government.

- Every person required to obtain a unique identity number shall submit the application electronically.
- Application shall be filed through Common Portal or registration can be granted suo-moto by proper officer.
- The application filed on the Common Portal is required to be signed electronically or through any other mode as specified by the Government.
- The details of the person authorized by the concerned entity to sign the refund application or otherwise, should be filled up against the "Authorised Signatory details" in the application.
- PAN/Aadhaar will not be applicable for entities specified in clause (a) of sub-section (9) of section 25 of the Act.";

(ix) With effect from the 1st day of July, 2017, in FORM GST TRAN-1 in Serial No.7,-

(i) in item (a), for the word, figures and brackets "and 140 (6)", the figures, brackets and word, "140 (6) and 140 (7)" shall be substituted;

(ii) in item (b),-

- (a) after the word, figures and brackets, "section 140 (5)", the words, figures and brackets "and section 140(7)" shall be inserted;
- (b) for column heading 1, the column heading "registration number of the supplier or input service distributor" shall be substituted;
- (c) in the heading of column 8, after the words "Eligible duties and taxes", the brackets and words "(central taxes)" shall be inserted.

[(File No. Bikri-kar/GST/Vividh-20 /2017-3531)]

By the order of Governor of Bihar,

SUJATA CHATURVEDI,

Commissioner-cum-Principal Secretary,

Commercial Taxes Department.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,

बिहार गजट (असाधारण) 876-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>